न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 47/2024 GCMS No.—2024/130

छोटूराम शर्मा पुत्र रामानन्द शर्मा निवासी ग्राम रामसरपाला वाला पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. सूरजमल शर्मा पुत्र श्री देवी सहाय शर्मा निवासी ग्राम रामसर पालावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत जरिये सरपचं ग्राम रामसर पालावाला पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।
3. ग्राम विकास अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

———————

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत रामसर पालावाला तहसील बस्सी, पंचायत समित बस्सी जिला जयपुर पट्टा संख्या 33 मिसल संख्या 01/2021–2022 दिनांक 11.11.2021

उपस्थितः–

1. श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री भंवर सिंह राजावत अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 14.07.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, पंचायत समिति बस्सी के आदेश दिनांक 07.07.2022 की पालना में से गैर निगरानीकार संख्या 1 सूरजमल शर्मा पुत्र श्री देवीसहाय शर्मा निवासी ग्राम रामसर पालवाला, तहसील बस्सी, के पक्ष में पट्टा संख्या 33 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.11.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री भंवर सिंह राजावत उपस्थित आये। विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में ग्राम पंचायत रामसर पालावाला, पं.स. बस्सी द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 157(1) के तहत पट्टा संख्या 33 आदेश दिनांक 07.07.2022 जारी किया है। जबकि उक्त पट्टे के संबंध में निगरानीकार द्वारा दिनांक 11.11.2021 को एक शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि उक्त पट्टे बाबत निगरानीकार को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

आपत्ति है एवं पट्टा जारी नहीं किया जावे जिसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 को पट्टा जारी कर दिया। निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र में अंकित किया था कि गैर निगरानीकार को पट्टे की भूमि में 4 फीट भूमि पूर्व की ओर छोडकर पट्टा जारी किया जावे इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। गैर निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टे हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही अपना पुश्तैनी कबजा साबित करने का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीधीन पट्टे के लिये सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा किया जाना आवश्यक था किन्तु निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस चस्पा नहीं किया गया। प्रश्नाधीन निर्णय जिस भूखण्ड का दिया है उस पर न तो गैर निगरानीकार का कोई कब्जा है एवं न ही किसी प्रकार का विधिक अधिकार है। निगरानीधीन पट्टे के संबंध में जानकारी चाहने पर निगरानीकार को ग्राम पंचायत द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी एवं ना ही दस्तावेज उपलब्ध करवाये। दिनांक 16.07.2024 को गैर निगरानीकार उक्त निगरानीधीन पट्टे की आड में निगरानीकार की भूमि पर कब्जा करने के आशय से निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना चाहते है। इसलिए निगरानीकार ने माननीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पत्रावली में कई जगह कांट–छांट की गयी है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत रामसर पालवाला के संकल्प संख्या 01/21–22 दिनांक 11.11.2021 के तहत आदेश दिनांक 07.07.2022 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 33 निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। ग्राम पंचायत के समक्ष गैर निगरानीकार ने अपने निवासरत पुश्तैनी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया। जिसकी कम में ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंच महोदय से मौका रिपोर्ट मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। तीन पंचों द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई गई जिसे कोरम मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.11.2021 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे के भूखण्ड से किसी प्रकार संबंध रखते है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का पुश्तैनी

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

मकान बना हुआ है एवं उक्त मकान में गैर निगरानीकार निवासरत है। गैर निगरानीकार को पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(1) पुराने गृहो का विनिमियतिकरण के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रामसर पालावाला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए मुताबिक नक्शा तीन मौका रिपोर्ट हेतु वार्ड पंचगण की कमेटी दिनांक 29.09.2021 को गठित की गयी। वार्डपंचगण द्वारा दिनांक 25.10.2021 को मौका निरीक्षण किया गया एवं ग्राम पंचायत के समक्ष वार्ड पंचगण द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीन वार्ड पंचगण के हस्ताक्षर है। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 148 की पालना में दिनांक 25.10.2021 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया कि गैर निगरानीकार अपने भूखण्ड पर लगभग 50 वर्षो से संनिर्माण कर निवास कर रहा है इसलिए गैर निगरानीकार संख्या 1 को पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत 200 रूपये शुल्क जमा कर जरिये संकल्प संख्या 8 दिनांक 08.11.2021 की पालना में 07.07.2022 को पट्टा संख्या 33 क्षेत्रफल 161.20 वर्गगज जारी किया गया है। निगरानीकार का मुख्य कथन है कि निगरानीकार द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया था कि निगरानीधीन पट्टा पूर्व में 4 फीट भूमि छोडकर दिया जावे एवं साथ ही ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली में कांट–छांट की गयी है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के पट्टे हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित समीओं अनुसार पूर्व में छोटूराम (निगरानीकार) की पडत भूमि एवं आम रास्ता अंकित है साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टे की भूमि की सीमाओं अनुसार पूर्व में निगरानीकार की पडत भूमि व आम रास्ता अंकित है। इससे जाहिर होता है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 एवं ग्राम पंचायत रामसर पालवाला द्वारा भी विवादित भूखण्ड की पूर्व दिशा में छोटूराम की पडत भूमि एवं रास्ता माना है इसलिए निगरानीकार का उज्र उचित नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 को लाभ पहुंचाने की गरज से पट्टा जारी किया है। पट्टा पत्रावली संधारण का कार्य ग्राम पंचायत स्तर का है एवं उसमें किसी प्रकार की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

कांट –छांट होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का किसी प्रकार का दोष नहीं होना जाहिर होता है। निगरानीकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि वे विवादित भूखण्ड से किस प्रकार हित, संबंध, सारोकार रखते है। निगरानीधीन पट्टे पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 167(2) की पालना में ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात एवं तथ्यो से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार विगत 50 वर्षो से मकान बनाकर निवासरत है इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 157(1) के तहत नियमानुसार ही पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है। ग्राम पंचायत रामसर पालावला, पंचायत समिति बस्सी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार पत्रावली बनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम 1994 में निहित नियमों की पालना करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर